प्रेस विज्ञप्ति

19.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने आरोपी मुश्ताक अहमद पीर निवासी नसीमाबाद, श्रीनगर के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.4.2024 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और मुस्ताक अहमद पीर को नोटिस जारी किया गया है।

ईडी ने आरपीसी और जेएंडके पी.सी.अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए मुश्ताक अहमद पीर के विरुद्ध अपराध शाखा कश्मीर, श्रीनगर द्वारा दर्ज एफआईआर और जारी आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मुश्ताक अहमद पीर ने वर्ष 2009 से 2012 तक जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेकेबीओपीईई) के अध्यक्ष के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान विभिन्न आधिकारिक गतिविधियों के लिए रखे गए 2.73 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि उनके जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित की। उसने आपराधिक इरादे से स्मार्ट सेवर खातों में निवेश करके, नकद प्रमाणपत्र जुटाकर और अपने ऋणों को चुकाकर उक्त धनराशि को अपने व्यक्तिगत उपयोग में लिया। आगे यह भी पता चला कि आरोपी मुश्ताक अहमद पीर ने अवैध तरीकों से उक्त सरकारी धन पर ब्याज भी अर्जित किया था। इसलिए, आरोपी मुश्ताक अहमद पीर ने एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त अवैध कृत्यों के माध्यम से अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

इससे पहले ईडी ने 2014 में मुश्ताक अहमद पीर के खिलाफ एक अन्य मामले की भी जांच की थी, जिसमें वह दलालों से प्राप्त 60 लाख रू. भुगतान के बदले में जेकेबीओपीईई मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल था। ईडी ने मुश्ताक अहमद पीर की 60 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। उस मामले में अभियोजन शिकायत भी ईडी द्वारा दायर की गई थी।

इस मामले में सुनवाई चल रही है।

****